कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक 11686/07/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि. भोपाल ,दिनांक 23 दिसम्बर, 1994

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

विषयः– माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा विभागीय समीक्षा दिनांक 3.2.94 असुधार योग्य हैण्ड पंपों की उपयोगी सामग्री को अन्यत्र उपयोग करने के संबंध में ।

आपको विदित होगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिनांक 3.2.94 को विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा की गई थी एवं उस वक्त यह निर्णय लिया गया था कि :–

बिन्दु क्रमांक 17 :–

‘‘ जो हैण्डपंप सुधार योग्य नहीं है, उनमें से उपयोगी सामान निकालकर नलकूप बन्द कर दें तथा उसका उपयोग अन्य नलकूपों में किया जाय ‘‘

इस संबंध में कार्यवाही करने हेतु मुख्य अधिकारियों के माध्यम से निर्देश दिनांक 25.2.94 तथा 26.10.94 एवं 20.12.94 को प्रसारित किये गये थें .

प्रदेश में भरे पड़े नलकूपों की बहुत बड़ी संख्या है और इन नलकूपों पर लगे हैण्डपंपों के सामान अनुपयोगी अवस्था में पड़े रहने के उल्लेखनीय राशि जिसका कि उपयोग किया जा सकता है अवरूद्व है अतः इसे गंभीरतापूर्वक लेते हुए आपके जिले के अन्तर्गत ऐसे कितने भरे पड़े नलकूप है, जिसकी सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, की संख्या दर्शाएं तथा प्रति माह इस कार्यालय को सीधे सूचित करें कि इनमें से कितनो की सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया गया है ।

कृपया नियमित रूप से प्रतिमाह इसकी जानकारी भेजें ।

हस्ता/–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रं. 11686/07/प्र.अ./लो.स्वा.यां. वि. भोपाल,दिनांक 23 दिसम्बर, 1994

प्रतिलिपिः–

1. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र–इंदौर /जबलपुर/रायपुर/ग्वालियर एवं भोपाल की ओर इस कार्यालय के फैक्स संदेश क्रमांक 115198–94/प्र.अ./भोपाल, दिनांक 20.12.94 के तारतम्य में लेख है कि इस संबंध में कार्यपालन यंत्रियों को परिपालन करने हेतु निर्देशित करें ।

हस्ता/–
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल